न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 96/2018 निर्णय दिनांक :– 7.10.18

उनवान

1. लक्ष्मण सैनी पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासी ग्म्म सवाई माधोसिंहपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जयपुर।

—— प्रतिवादी

दावा बाबत धोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188, 92 ए, राज.टेनेन्सी एक्ट

वादी ने वाद पत्र निम्न प्रकार पेश किया कि तहसील चाकसू के ग्राम सवाई माधोसिंहपुरा पटवार हल्का सवाईमाधोसिंहपुरा मे खसरा नं. 86 रकबा 0.05 खसरा नं. 87 रकबा 0.06, खसरा नं. 1038/2 रकबा 0.02, खसरा नं. 1167/2 रकबा 0.16 खसरा नं. 1170/2 रकबा 0.17, खसरा नं. 1171/3 रकबा 0.06, कुल किता 6 कुल रकबा 0.52 हैक्टयर स्थित है जों वादी के नाम दर्ज है

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

किन्तू खाते मे वादी का नाम लक्ष्मण पुत्र मांगीलाल की जगह लक्ष्मीनारायण पुत्र मांगीलाल के नाम दर्ज हो रखा है। वादग्रस्त अराजी वादी के पिता के नाम कई वर्षो से थी तथा वादी के पिता के देहांत होने के पश्चात वादी के नाम लगी तभी से वादी का नाम लक्ष्मण पुत्र मांगीलाल की जगह लक्ष्मीनारायण पुत्र मांगीलाल चला आ रहा है जो एक लिपीकिय त्रुटी के कारण सहवन से गलत दर्ज हो रखा है। वादी के सम्पूर्ण दस्तावेजों मे पहचान पत्र, आधार कार्ड, डाईविंग लाइसेंस, व सभी सरकारी दस्तावेजों मे वादी का नाम लक्ष्मण पुत्र मांगीलाल है, तथा वादी को आमजन लक्ष्मण के नाम से ही जानते है तथा लक्ष्मीनारायण कोई अन्य व्यक्ति नहीं होकर लक्ष्मण ही है इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है यह केवल एक लिपिकीय त्रुटी है। दिनांक 09/04/2018 को वादी के.सी.सी हेतू बैक गया तो प्रथम बार ज्ञात हुआ कि वादी का नाम लक्ष्मण पुत्र मांगीलाल की जगह लक्ष्मीनारायण पुत्र मांगीलाल दर्ज होने के कारण बैक कर्मचारियों ने के.सी.सी देने से मना कर दिया इसलिए यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वाद की सुनवायी का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। वादी का वाद अन्दर मियाद कानून मियाद है। दावा उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। दावा बहक वादी विरूद्द प्रतिवादी धोषणा इन्द्रज दुरस्ती का डिकी किया जाकर वादी का नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र मांगीलाल की जगह लक्ष्मण पुत्र मांगीलाल किया जावें । अन्य कोई अनुतोष जो मान्य न्यायालय उचित समझे प्रतिवादी से दिलवाया जावें ।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

दावा वकील वादी के द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गयी व जवाब सरकार हेतु लिखा गया तो प्रतिवादी बावजूद सूचना के हाजीर नही आया न ही जवाब सरकार पेश किया गया तो प्रतिवादी के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी तो दौराने बहस वादी वकील ने दावे के समथन करते हुये मुताबिक दस्तावेज वादी का नाम दुरूस्त किया जाना जाहिर किया गया। वादी ने दावे के समर्थन में ग्राम सवाई जयसिंहपुरा की जमाबंदी संवत 2072 – 75 के खाता संख्या 157, 224, आधार कार्ड, ड्राईवर लाईसेंस, चुनाव पहिचान पत्र, बतौर सबूत पेश किये गये। वकील वादी की बहस पर गोर किया व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तो वादी का नाम राजस्व जमाबंदी में लक्ष्मीनारायण पुत्र मांगीलाल दर्ज है जबकि आधार कार्ड, चुनाव पहिचान पत्र एवं ड्राईवर लाईसेंस में लक्ष्मण पुत्र मांगीलाल दर्ज है वादी उक्त दस्तावेजानुसार अपन नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाना चाहता है जो नाम शुद्ध किया जाना उचित समझते है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 86, 87, 1038/2, 1167/2, 1170/2, 1171/3 किता 6 रकबा 0.52 है0 भूमि वाके ग्राम सवाईमाधोसिंहपुरा में वादी का नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र मांगीलाल के स्थान पर लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र मांगीलाल शुद्ध किये जोन के आदेश दिये जाते है

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2019.11.06 12:05:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: